

क्रमांक प. 16(1)वि.मा./2024

जयपुर, दिनांक 04 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब 1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2026 में उक्त अधिनियम के अधीन संचालित संस्थाओं में निम्नांकित दिनांक को सार्वजनिक अवकाश रहेंगे:-

क्र.सं	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर दिनांक	दिन का नाम
1.	गणतन्त्र दिवस	26.01.2026	सोमवार
2.	धुलण्डी	03.03.2026	मंगलवार
3.	ईदुलफितर*	21.03.2026	शनिवार
4.	रामनवमी	26.03.2026	गुरुवार
5.	श्री महावीर जयन्ती	31.03.2026	मंगलवार
6.	डा. अम्बेडकर जयन्ती	14.04.2026	मंगलवार
7.	ईदुलजुहा*	28.05.2026	गुरुवार
8.	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2026	शनिवार
9.	रक्षाबंधन	28.08.2026	शुक्रवार
10.	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	04.09.2026	शुक्रवार
11.	महात्मा गांधी जयन्ती	02.10.2026	गुरुवार
12.	विजय दशमी	20.10.2026	मंगलवार
13.	गोवर्धन पूजा	09.11.2026	सोमवार
14.	गुरु नानक जयन्ती	24.11.2026	मंगलवार
15.	क्रिसमस डे	25.12.2026	शुक्रवार

*चौद दिखाई देने की दशा में।

- एन.आई. एक्ट, 1881 के तहत दिनांक 01.04.2026 (बुधवार) को वार्षिक बैंक लेखा बन्दी अवकाश रहेगा।

नोट :- रविवार एवं माह के द्वितीय शनिवार होने के कारण निम्नलिखित अवकाशों को उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है:-

क्र.सं	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर दिनांक	दिन का नाम
1	महाशिवरात्रि	15.02.2026	रविवार
2	नवरात्रा स्थापना	11.10.2026	रविवार
3	दिपावली	08.11.2026	रविवार

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हरीश लड्डा)

संयुक्त शासन सचिव